दस रुपये TEN RUPEES

(24)

न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क्रं. .... R-1021-III/14 सन् ....

1- श्रीमती रतन कुँवर पत्नि वीरेन्द्र सिंह ठाकुर
निo ग्राम खिरवा तहo महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.) ----**निगरानीकर्ता**

बनाम

1- श्रीमती पार्वती पत्नि दर्शन सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम खिरवा तहo महाराजपुर जिला छतरपुर (म.प्र.)

2- मoप्रoशासन --**अनावेदकगण**

25.3.14

25-3-14

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छत्तरपुर म.प्र. के प्रकरण कं. 214/अपील/12-13 में पारित आदेश दिनांक 23.1.14 से दुखित होकर उक्त निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है -

1- यह कि अनुविभागीय अधिकारी नौगांव के समक्ष उक्त प्रथम अपील निगरानीकर्ता के द्वारा प्रस्तुत की गई थी जिसके की तथ्य इस प्रकार थे कि भूमि खसरा कं. 85, 99, 101, 106, कुल किता 4 स्थित मौजा खिरवा में 1/5 के सहखातेदार रंजोर सिंह तनय रामधीन सिंह ठाकुर के नाम राजस्व अभिलेखो में दर्ज भूमियॉं थी जिसमें कि अनावेदक कंo-1 ने तहसीलदार महाराजपुर के समक्ष एक आवेदन पत्र फर्जी वसीयतनामा एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया था जो कि प्रकरण कं. 36/अ-6/2011-12 पर दर्ज किया जाकर 23.11.12 को आदेश किया था जिसके विरूद्ध प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी ।

2- यह कि निगरानीकर्ता को ज्ञात हुआ कि अनावेदिका कंo-1 श्रीमती पार्वती पत्नि श्री दर्शन सिंह के द्वारा एक फर्जी वसीयत के आधार पर नामांतरण आवेदन पेश किया है तब निगरानीकर्ता के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रंजोर सिंह द्वारा लिखित वसीयतनामा दिनांक 14.2.93 के अनुसार अपना नाम नामांतरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसे कि काउण्टर प्रकरण बनाकर दोनो प्रकरण एक साथ संलग्न कर दिये गये थे। जिसमें कि निगरानीकर्तागण के दस्तावेजों एवं साक्ष्यों को नजरअंदाज करते हुये तहसीलदार महाराजपुर द्वारा आदेश दिनांक 23.11.2012 पारित किया गया था जिससे दुखित होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई थी ।

5-3-14 K. Dwivedi

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1021-तीन/2014 जिला - छतरपुर रतन विरूद्ध पार्वती

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदिका श्रीमती रतन कुंवर की ओर से अभिभाषक श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 214/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 23-1-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 25-03-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

20.12.18

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 24-01-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

20.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य